न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4289–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 27/अ–6/2013–14.

.....

प्रताप पुत्र श्री पूनमचन्द्र यादव
निवासी ग्राम टेमलाकला, तहसील डोलरिया,
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती सरजूबाई पत्नी श्री पूनमचन्द्र यादव
पुत्री श्री लखमाजी अहीर
निवासिनी ग्राम टेमलाकला, तहसील डोलरिया,
जिला होशंगाबाद म0प्र0
2–म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार तहसील डोलरिया,
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक क्र. 1
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक क्र. 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका कमांक 1 एवं चंदूबाई दोनों आपस में सगी बहन थी । चन्दूबाई की मृत्यु दिनांक 8–6–2013 को हो गई है । आवेदिका कमांक 1 एवं चन्दूबाई को उनके पिता की प्रश्नाधीन भूमि बराबर हिस्से में प्राप्त हुई थी । चूँकि चन्दूबाई के कोई संतान नहीं है, इसलिये उसकी भूमि ग्राम टेमलाकला स्थित सर्वे कमांक 112/2 रकबा 1.327 हेक्टेयर पर चन्दूबाई के स्थान पर उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–11–2014 को इस आशय की आदेशिका लिखी गई कि प्रकरण प्रस्तुत, उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित, आवेदक की ओर से सरजूबाई एवं रमेशचन्द के शपथपत्र पर 18 नियम 14 सी.पी.सी. में प्रस्तुत प्रकरण आवेदक साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण वास्ते और पेशी दिनांक 8–12–2014 नियत की गई । तहसीलदार की इसी आदेशिका के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी आवेदक की चाची थी, और वह उनका विधिक वारिस है । अनावेदिका कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी चन्दूबाई की वारिस नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने पहले इस आशय की आदेशिका लिखी थी कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहा है, समय दिया जाता है, परन्तु बाद में स्वयं ही उक्त आदेशिका को काटकर दूसरी आदेशिका लिखते हुये आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा स्वयं की लिखी आदेशिका काटी नहीं जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित है, जिसका निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही कराया जा सकता है । इस आशय की आपत्ति आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पर 200/– रुपये की कोस्ट लगाने के उपरांत भी उसे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने

का अवसर नहीं दिया जा रहा है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय की आदेशिका निरस्त कर आवेदक को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदक को अनावेदक की साक्ष्य का कूट परीक्षण करने का अवसर उपलब्ध है, परन्तु आवेदक द्वारा कूट परीक्षण नहीं कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा वास्तव में इस न्यायालय में निगरानी तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही कहा गया कि तहसीलदार का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की हैसियत आपत्तिकर्ता की है, इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है । आवेदक की ओर से जिस आदेशिका के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उस आदेशिका से आवेदक प्रभावित है, ऐसा परिलक्षित नहीं होता है, अतः इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था । इस संबंध में अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में पूर्ण बल है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । जहॉ तक तहसीलदार द्वारा आदेशिका काटकर दूसरी आदेशिका लिखी गई है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि यदि आदेशिका त्रुटिपूर्ण लिखी गई है तो उसे सुधारा जा सकता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर